



एवरग्रीनगि लोन

प्रलिस के लयि:

[भारतीय रजिस्व बैंक \(RBI\)](#), [तनावग्रसत ऋण](#), [पर्यावरण](#), [सामाजिक और शासन \(ESG\) मानदंड](#), [संपत्तपुनरनिमाण कंपनी \(ARC\)](#)

मेन्स के लयि:

एवरग्रीनगि लोन, एवरग्रीनगि लोन के लयि उपयोगी दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों :

[भारतीय रजिस्व बैंक \(RBI\)](#) के गवरनर ने हाल ही में बैंक बोर्डों को संबोधति कयि तथा बैंकों द्वारा अति-आक्रामक वकिस रणनीतयिों को अपनाने और एवरग्रीनगि लोन में संलग्न होने के बारे में चतिा वयक्त की।

- RBI गवरनर ने मज़बूत [कॉर्पोरेट गवरनेंस](#) की आवश्यकता पर बल दयिा और [तनावग्रसत ऋणों](#) की सही स्थतिा को छपाने के उदाहरणों पर प्रकाश डाला।

एवरग्रीनगि लोन:

- **परचिय:**
 - एवरग्रीनगि लोन, [ज़ॉबी ऋण](#) का एक रूप है, यह एक उधारकर्त्ता, जो वर्तमान में प्राप्त ऋणों को चुकाने में असमर्थ है, को नए या अतरिकित ऋण देने का एक तरीका है, जसिसे गैर-नषिपादति आसतयिों (NPA) या बैंड लोन्स की वास्तवकि स्थतिा को छुपाया जाता है।
- **एवरग्रीनगि लोन के लयि प्रयुक्त दृष्टिकोण:**
 - NPAs के रूप में वर्गीकृत करने से बचने के लयि दो उधारदाताओं के बीच ऋण या ऋण उपकरणों को बेचना और खरीदना।
 - [अच्छे कर्ज़दारों के डफ़ॉल्ट को छपाने के लयि तनावग्रसत कर्ज़दारों के साथ संरचति सौदे](#) करने पर सहमति वयक्त करना।
 - उधारकर्त्ताओं के पुनर्भुगतान दायतिवों को समायोजति करने के लयि आंतरकि या कार्यालयी खातों का उपयोग करना।
 - तनावग्रसत उधारकर्त्ताओं या संबंधति संस्थाओं को पहले के ऋणों के भुगतान की तारीख के आस-पास नए ऋणों का नवीनीकरण या वतिरण करना।
- **प्रभाव:**
 - एवरग्रीनगि लोन बैंकों की परसिंपत्तकि गुणवत्ता और लाभप्रदता की गलत धारणा बना सकते हैं और दबावयुक्त परसिंपत्तयिों की पहचान और उनके समाधान में देरी कर सकते हैं।
 - यह ऋण अनुशासन के साथ उधारकर्त्ताओं के बीच नैतिकि जोखमि को भी कम कर सकता है तथा जमाकर्त्ताओं, नविशकों और नयामकों के वशिवास को समाप्त कर सकता है।

गैर-नषिपादति परसिंपत्तकि:

- NPA उन ऋणों या अग्रमिों के वर्गीकरण को संदर्भति करता है जो डफ़ॉल्ट रूप से हैं या मूलधन या ब्याज के नरिधारति भुगतान पर बकाया हैं।
- बैंकों को गैर-नषिपादति परसिंपत्तयिों को उस अवर्ध के आधार पर नमिनलखिति तीन श्रेणयिों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, जसिके लयि परसिंपत्तकि गैर-नषिपादति रही है और देय राशकि वसूली होनी है:
 - **सब-स्टैंडर्ड एसेट्स:** यह कोई एसेट्स 12 महीने या उससे कम समय तक गैर-नषिपादति परसिंपत्तकि रहता है, वह सब-स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाता है।
 - **डाउटफुल एसेट्स:** यह एक ऐसी परसिंपत्तकि है जो 12 महीनों से अधिक समय तक गैर-नषिपादति है।
 - **लॉस एसेट्स:** ऐसी परसिंपत्तयिों जो संग्रहणीय नहीं हैं और जहाँ वसूली की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं है तथा जसि पूरी तरह से बटटे खाते

में डालने की आवश्यकता है।

■ लोन राइट-ऑफ बनाम एवरग्रीनगि:

- ऋणों के पर्याप्त प्रावधान करने के बाद बैंकों की बैलेंस शीट से सभी बैड लोन को हटाने की एक प्रक्रिया को लोन राइट-ऑफ कहा जाता है। लोन राइट-ऑफ का मतलब यह नहीं है ककिर्ज़दार अपने पुनर्भुगतान दायित्वों से मुक्त हो गया है या बैंक ने वसूली करना बंद कर दिया है। बैंकों की बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने और सही वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिये लोन राइट-ऑफ किया जाता है।
 - राइट-ऑफ अभ्यास ने बैंकों को पछिले पाँच वर्षों में 10,09,510 करोड़ रुपए (123.86 बिलियन डॉलर) की गैर-नषिपादति परसिंपत्तियों या डफिल्टेड ऋणों को कम करने में सक्षम बनाया है।
 - दूसरी ओर, एवरग्रीनगि लोन, एक ऐसे उधारकर्त्ता को नए या अतिरिक्त ऋण देने की एक प्रक्रिया है जो मौजूदा ऋणों को चुकाने में असमर्थ है, जिससे गैर-नषिपादति आस्तियों (NPA) या बैड लोन्स की सही स्थिति को छपाया जाता है।

■ RBI की पहल:

- RBI ने बैंकों को अत्यधिक आक्रामक विकास रणनीतियों, उत्पादों के कम या अधिक मूल्य निर्धारण, जमा या क्रेडिट प्रोफाइल में एकाग्रता या विविधीकरण की कमी को अपनाने के प्रति आगाह किया है, जो उच्च जोखिम और कमज़ोरियों को उजागर कर सकता है।
- RBI ने बैंकगि क्षेत्र को समर्थन देने के लिये विभिन्न उपायों को भी लागू किया है, जिसमेंतरलता सहायता प्रदान करना, वनियामक सहनशीलता, परसिंपत्तपुनर्रिमाण कंपनी (ARC) की स्थापना और समाधान ढाँचा शामिल है।
 - हालाँकि RBI ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यदि बैंक अपने जोखिम प्रबंधन और शासन प्रथाओं में सुधार नहीं करते हैं तो ये उपाय अपर्याप्त हैं।
- कई बैंकों ने अपने ग्राहक को जानें (KYC), ग्राहक शिकायत नविरण, धोखाधड़ी रिपोर्टगि आदि से संबंधित विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने पर RBI द्वारा लगाए गए दंड का सामना किया है।
 - भारतीय रज़िर्व बैंक ने अभिशासन संबंधी मुद्दों के कारण कुछ महत्त्वपूर्ण नजि क्षेत्र के बैंकों के वरिद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई भी की है।

नोट: संपत्तपुनर्रिमाण कंपनी एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की गैर-नषिपादति संपत्तियों (NPA) को प्राप्त करने तथा हल करने में सक्षम है। बैंकगि क्षेत्र में NPA की बढ़ती समस्या की प्रतिक्रिया के रूप में 1990 के दशक के अंत में ARC को भारत में पेश किया गया था।

एवरग्रीनगि लोन का नयित्तरण:

- **उन्नत जोखिम मूल्यांकन:** वित्तीय संस्थानों को उधारकर्त्ताओं की साख का सटीक मूल्यांकन करने के लिये मज़बूत जोखिम मूल्यांकन प्रथाओं को अपनाना चाहिये।
 - इसमें पूरी तरह से सावधानी बरतना, चुकौती क्षमता का विश्लेषण करना और उधारकर्त्ता के व्यवसाय मॉडल की व्यवहार्यता का आकलन करना शामिल है। संभावित जोखिमों की सटीक पहचान करके ऋणदाता सर्वकालिक ऋणों की आवश्यकता से बच सकते हैं।
- **पारदर्शी रिपोर्टगि और प्रकटीकरण:** एवरग्रीनगि लोन को रोकने में पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण है। उधारदाताओं को गैर-नषिपादति ऋण (NPL) और ऋण पुनरागठन सहित अपने ऋण पोर्टफोलियो पर सटीक एवं समय पर जानकारी प्रदान करनी चाहिये।
 - स्पष्ट और पारदर्शी प्रकटीकरण आवश्यकताएँ नयिमकों, नवित्तरणों तथा अन्य हतिधारकों को बैंकों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने एवं किसी भी संभावित सर्वकालिकता प्रथाओं की पहचान करने में सक्षम बनाती हैं।
- **परसिंपत्तदियता प्रबंधन:** एसेट-लायबिलिटी मैनेजमेंट (ALM) के महत्त्व पर ज़ोर देने की आवश्यकता है।
 - ALM में संपत्त और देनदारियों, ब्याज़ दर में उतार-चढ़ाव तथा अन्य बाज़ार जोखिमों के बीच परपिक्वता बेमेल से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का आकलन एवं नगिरानी करना शामिल है।
 - बैंकों को सलाह दी गई है कि सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी गलत सूचना या अफवाह को दूर करने के लिये मीडिया से तुरंत बातचीत करें, जिससे जमाकर्त्ताओं में हलचल पैदा हो सकती है।
- **ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानदंड:** बैंकों को ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है क्योंकि वे नवित्तरणों और हतिधारकों के लिये तेज़ी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं।
 - बैंकों को स्थायी व्यवसाय प्रथाओं को अपनाना चाहिये, अपने ESG प्रदर्शन का खुलासा करना चाहिये और जलवायु परिवर्तन तथा सामाजिक कल्याण पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ अपनी उधार नीतियों को संरेखित करना चाहिये।
 - ESG लक्ष्य, कंपनी के संचालन हेतु मानकों का एक समूह (Set) है जो कंपनियों को बेहतर शासन, नैतिक प्रथाओं, पर्यावरण के अनुकूल उपायों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन कराने पर बल देता है।
- **पी.जे. नायक समिति की सफिराशें:**
 - भारत में बैंकों बोर्डों के शासन की समीक्षा समिति के अनुसार, जहाँ भी RBI द्वारा किसी बैंक में महत्त्वपूर्ण एवरग्रीनगि का पता लगाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों तथा सभी पूर्णकालिक नदिशकों पर नवित्तरण सटॉक वकिलों को रद्द कर एवं मौद्रिक बोनस वापस लेने (क्लॉ-बैक/Claw-Back) के माध्यम से ज़रूमाना लगाया जाना चाहिये तथा ऑडिट समिति के अध्यक्ष को बोर्ड द्वारा पद से हटाया जाना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकगि के शासन के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. पछिले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है ।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को व्यवस्थति करने के लयि भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहयोगी बैंकों का वलिय प्रभावति हुआ है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/evergreening-of-loans>

